पावर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेनिंग सेन्टर

(मध्य प्रदेश सोसायटी एक्ट 1973 के तहत)

दीक्षा भवन,गोविन्दपुरा भोपाल (म.प्र.) 462023

0755.2588350, 2602033.36; Ext.259,260,261)

PDTC

"Learn today to lead tomorrow"

URS ISO 9001 UKAS MANAGEMENT SYSTEMS

क्रमांक / निदेशक / पी.डी.टी.सी. / 1104

भोपाल दिनांक : 16/03/26

विज्ञप्ति

स्नातक एवं डिप्लोमा / तकनीकी एप्रेन्टिस के नियोजन बाबत्

पावर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेनिंग सेन्टर, मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड भोपाल का एक स्वशासी प्रशिक्षण केन्द्र है। पीडीटीसी के द्वारा निम्नलिखित पाठ्यक्रमों में शासकीय मान्यता प्राप्त संस्थान अथवा पॉलीटेक्निकल कॉलेजों से उत्तीर्ण स्नातक अथवा डिप्लोमा उत्तीर्ण उम्मीदवारों से एक वर्ष के एप्रेन्टिस प्रशिक्षण हेतु निर्धारित प्रारुप में आवेदन आमंत्रित किये जाता है।

क्र.	स्नातक इंजीनियरिंग अथवा डिप्लोमा में विषय	स्नातक एप्रेन्टिस (शिष्यावृति रु. 9000 / –प्रतिमाह)					डिप्लोमा / तकनीकी एप्रेन्टिस (शिष्यावृति रु. 8000 / –प्रतिमाह)					कुल योग
		सामान्य	अ. पि.व.	अनु. जाति	अनु. जनजाति	कुल	सामान्य	अ. पि.व.	अनु. जाति	अनु. जनजाति	कुल	
1	सिविल	2	0	1	1	**4**	2	0	1	1	**4**	**8**
2	इलेक्ट्रिकल्स / इलेक्ट्रिकल्स व इलेक्ट्रोनिक्स	22	7	7	8	**44**	12	2	4	4	**22**	**66**
3	आई.टी.	1	0	1	1	**3**	0	0	0	0	**0**	**3**
	योग	**25**	**7**	**9**	**11**	**51**	**14**	**2**	**5**	**5**	**26**	**77**

1. **पात्रता के मापदंडः–**

(अ) **अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताः**

स्नातक एप्रेन्टिस– विद्युत यांत्रिकी / सिविल यांत्रिकी / आई.टी. / कम्प्यूटर साईस / इलेक्ट्रनिक्स / टेलिकम्यूनिकेशन में वर्ष **2022** या इसके पश्चात स्नातक।

तकनीकी एप्रेन्टिस– विद्युत यांत्रिकी / सिविल यांत्रिकी में वर्ष **2022** अथवा इसके पश्चात डिप्लोमा।

(ब) **आरक्षण एवं आयु में छुटः**

आयु संगणना तिथिः 01.01.2026

सभी वर्गो में अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयू 18 वर्ष होना चाहिए।

सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की अधिकतम आयू 25 वर्ष होगी तथा अजा. / अ.ज.जा. / अ.पि.व. (नॉन–क्रीमी लेयर) वर्ग के अभ्यर्थियों की **अधिकतम आयू सीमा में 05 वर्ष की छुट रहेगी।**

(स) **पिछला प्रशिक्षणः**

उपरोक्त पदों हेतु उन्हीं उम्मीदवारों के आवेदन स्वीकार किये जावेंगे जिन्होंने एप्रेन्टिस एक्ट 1961 यथा संशोधित के प्रावधानों के तहत किसी भी शासकीय / अर्ध–शासकीय / अशासकीय संस्थान अथवा सार्वजनिक क्षेत्र से पूर्व में प्रशिक्षण नहीं लिया हो।

(द) उम्मीदवारों द्वारा स्नातक / डिप्लोमा हासिल किये **05 वर्ष** से कम हो। इस हेतु उम्मीदवार को निर्धारित प्रपत्र में घोषणा पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

2. **प्रशिक्षण में आरक्षणः–** अजा. / अ.ज.जा. वर्ग के लिए आरक्षण एप्रेन्टिस एक्ट 1961 एवं यथा संशोधन के प्रावधानों के आधार पर रहेगा।

3. **प्रशिक्षण :** चयनित प्रशिक्षुओं को म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि., भोपाल के विभिन्न कार्यालयों में 1 वर्ष का मैदानी प्रशिक्षण कंपनी के अधीनस्त कार्यालयों में प्रदान किया जावेगा।

4. **चयन प्रकियाः–** उम्मीदवारों का चयन उनकी शाखा में प्राप्तांकों की प्रवीण्य सूची के आधार पर किया जावेगा।

MPLR

5. **शिष्यावृत्तिः**– स्नातक एप्रेन्टिस को **रुपये 12300/–** प्रतिमाह तथा तकनीकी एप्रेन्टिस को **रुपये 10900/–** प्रतिमाह शिष्यावृत्ति प्रदान की जावेगी।

6. **आवेदन करने की प्रक्रियाः–**

i. आवेदन nats.education.gov.in की वैबसाइट मे रजिस्टर/एनरोल कराएं। यहॉ रजिस्टर/एनरोल करना अनिवार्य है अन्यथा आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा।

ii. योग्य इच्छुक उम्मीदवार आवेदन पत्र NATS portal द्वारा ऑनालाईन एवं कंपनी की वैबसाइट ***https://portal.mpcz.in/web/*** से आवेदन पत्र डाउनलोड कर अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय (पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेनिंग सेन्टर दीक्षा भवन, गोविन्दपुरा भोपाल (म.प्र.) –462023) में दिनांक **30.03.2026 सांय 5:30 बजे** तक निम्नलिखित आवश्यक प्रमाण पत्रों की स्वसत्यापित छाया प्रतियों सहित डाक से अथवा स्वयं प्रस्तुत कर सकते है।

- डिग्री/डिप्लोमा का प्रमाण पत्र/अंकसूची।
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।
- मूल निवासी प्रमाण पत्र।
- 10 वीं क्लास/एस.एस.सी./मेट्रिक्यूलेशन की अंकसूची।
- बारहवीं की अंकसूची।
- फोटो आई.डी. का प्रमाण।
- NATS का एनरोलमेंट क्रमांक की प्रति।
- शारीरिक विकलांगता का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।
- पासपोर्ट साईज फोटो–2 नग।
- स्टाम्प साइज फोटो–2 नग।
- बैंक पासबुक की प्रति (जो कि आधार से लिंक हो)

7. **सामान्य नियम शर्ते :–**

i. अभ्यर्थी कुपया यह सुनिश्चित कर लें कि वे शिक्षुता के लिये आवश्यक योग्यता रखते है तथा उनके द्वारा दी गई सभी जानकारियां सही है।

ii. यदि चयन प्रकिया के दौरान किसी भी समय यह ज्ञात होता है कि, अभ्यर्थी निर्धारित आर्हताओं को पूरा नही करते है और कंपनी की आवश्यकताओं पर खरे नही उतरते है अथवा उन्होनें कोई भी जानकारी छुपाई है तो तत्काल प्रभाव से उनकी उम्मीदवारी को निरस्त कर दिया जावेगा एवं प्रशिक्षण समाप्ति जैी सख्त कार्यवीह की जा सकती है।

iii. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन–क्रीमी लेयर) कृपया अपनी श्रेणी ध्यानपूर्वक भरे, चूंकि बाद मे उनके द्वारा भ्री गई कोई भी जानकारी किसी भी परिस्थिति में बदली नही जायेगी।

iv. विज्ञापन के आधार पर किये गये आवेदन पर किसी भी प्रकार की विधिक कार्यवाही की निराकरण शिक्षुता अधिनियम 1961 एवं इसके संशोधन के प्रावधानुसार किया जावेगा।

v. प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण समाप्त होने पर म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि., भोपाल द्वारा न तो कोई नियुक्ति देने की बाध्यता होगी और न ही शिक्षुओं को प्रशिक्षण समाप्त होने के उपरांत नियोक्ता के पास कार्य करने की बाध्यता होगी।

vi. आवेदक अपना आवेदन एवं सम्पूर्ण जानकारी निर्धारित प्रारूप में प्रामाणित/सत्यापित/स्वयं सत्यापित/ हस्ताक्षरित प्रतिलिपियों के साथ प्रेषित करें। आवेदन पत्र में अपूर्ण/त्रूटिपूर्ण जानकारी/असत्य जनकारी देने पर आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा।

vii. प्रशिक्षुओं का चयन स्नातक/डिप्लोमा में प्राप्तांकों की प्रवीण्य सूची के आधार पर किया जावेगा।

viii. विद्युत कार्य हानिकारक होने के फलस्वरूप दिवयांग अभ्यर्थियों हेतु कोई पद आरक्षित नहीं हैं।

ix. किसी भी आवेदन को बिना कारण बताए स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार निदेशक (पी.डी.टी.सी.) के पास सुरक्षित रहेगा।

x. म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. ...

xi. चयन न होने की स्थिति में उम्मीदवारों द्वारा कोई भी पत्राचार या पूछताछ स्वीकार नही किया जावेगा।

xii. किसी भी योग्य व पात्र आवेदक का अंतिम चयन चिकित्सा फिटनेस जो की मेडिकल बोर्ड अथवा सिविल सर्जन द्वारा जारी किया गया हो, के आधार पर किया जावेगा।

xiii. अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रुप से कमजोर सामान्य वर्ग हेतु आरक्षित पदों के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों की रिक्तियाँ अन्य आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा भरी जा सकेंगी। इसके पश्चात भी अगर कोई पद रिक्त रहता है तो वह रिक्तियाँ अनारक्षित अभ्यर्थी द्वारा भरी जा सकेंगी।

xiv. स्नातक/तकनीकी अप्रेंटिस की रिक्तियों में योग्य उम्मीदवार नही मिलने की स्थिति मे उक्त रिक्तियों को अन्य उपलब्ध स्नातक/तकनीकी अप्रेंटिस द्वारा प्रतीक्षा सूची जारी कर भरा जावेगा।

xv. प्रशिक्षुओं को आवास की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

नोटः— चयनित एप्रेन्टिस को प्रशिक्षण पश्चात नौकरी की पात्रता नहीं होगी एवं मात्र एक वर्ष का एप्रेन्टिस प्रशिक्षण प्रदान किया जावेगा।

संलग्नः— उपरोक्तानुसार।

निदेशक (पी.डी.टी.सी.)
भोपाल

MPPLR

स्नातक एवं डिप्लोमा / तकनीकी अप्रेंटिस के प्रशिक्षण
आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रति,

निदेशक पी.डी.टी.सी.
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि.,
दीक्षा परिसर गोविन्दपुरा,
भोपाल– 462023

सत्यापित / स्वयं सत्यापित फोटो चस्पा करें

शाखा .... इंजीनियरिंग

1. वर्ग :– ग्रेज्युएट अप्रेंटिस / टेक्निकल अप्रेंटिस
2. आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी में) : ....
3. पिता / पति का नाम : ....
4. लिंग (महिला / पुरूष) : ....
5. जन्म तिथि : ....
6. NATS ID (Enrollment no.) : ....
7. पत्र व्यवहार का पता : ....
....
....
8. मोबाइल :..
9. ईमेल:..
10. स्थायी पता :...
....
11. क्या अनु.जाति / जन जाति वर्ग मे आते है
अ.पि.व. (नॉन–क्रीमी लेयर) वर्ग में आते है :...
12. क्या पूर्व में अप्रेंटिस एक्ट के तहत प्रशिक्षण : क) समयावधि ....
प्राप्त किया है, यदि हॉ तो उसका विवरण : ख) संस्था का नाम एवं पता ....
....
....
13. शैक्षणिक योग्यता / तकनीकी योग्यताः–

परीक्षा / शाखा	शिक्षण संस्थान का नाम	सत्र	प्राप्तांक	पूर्णाक	प्रतिशत

संलग्नक सहपत्र (सत्यापित / स्वयं सत्यापित प्रतिलिपियॉ)

1. शैक्षाणिक योग्यता / इन्जीनियरिंग में डिग्री / डिप्लोमा उत्तीर्ण की अंकसूची
2. मूल निवास प्रमाण पत्र
3. जाति प्रमाण पत्र (अनु0जाति / अनु0जनजाति / अ.पि.व.(नॉन–क्रीमी लेयर) उम्मीदवारो के लिए)
4. NATS वेबसाईट पर रजिस्ट्रेशन की प्रति

घोषणा पत्र

मैं .... आत्मज ....प्रमाणित करता हूँ कि आवेदन पत्र में दी गयी समस्त जानकारी पूर्णरूपेण सत्य है। असत्य / अपूर्ण जानकारी पाये जाने पर म.प्र.मध्य क्षेत्र वि.वि.कं.लि. / पावर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेनिंग सेन्टर सोसायटी भोपाल द्वारा की जाने वाली समस्त कार्यवाही हेतु मै जिम्मेदार रहूँगा।